समाचार

15, 16, 20, 27, 28 अगस्त व 03, 06, 07 सितम्बर को बंद रहेगा पशुवध कार्य

कोरबा 12 अगस्त 2025 – नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत संचालित समस्त वधशालाओं एवं मांस विक्रय की दुकानों को दिनांक 15, 16, 20, 27, 28 अगस्त, 03, 06, 07 सितम्बर को पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। इन तिथियों में किसी प्रकार का पशुवध न होगा और न ही मांस का विक्रय होगा। निगम द्वारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी, 20 अगस्त को जैन पर्यूषण पर्व प्रथम दिवस, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी, 28 अगस्त को जैन पर्यूषण पर्व अंतिम दिवस व क्षमा, 03 सितम्बर को ढोल ग्यारस, 06 सितम्बर को अनंत चतुर्दशी एवं 07 सितम्बर को जैन पर्यूषण पर्व में सवंत्सरी व उत्तम क्षमा के विशिष्ट अवसर पर पशुवधगृहों व मांस विक्रय की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखने तथा किसी भी प्रकार का पशुवध न करने और न ही मांस का विक्रय करने के निर्देश समस्त पशुवधगृह संचालकों व संबंधित दुकानदारों को दिए गए हैं। उक्त तिथियों में यदि किसी भी दुकान में मांस का विक्रय किया जाता है तो मांस जप्त कर संबंधित के विरूद्ध यथोचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।